संख्या /X-2-2016-12(26)/2002

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 07 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

विषय–राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर वन्य जीव कॉरीडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्डगांव–03 के 10 अतिरिक्त परिवारों का विस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3087/3–48, देहरादून, दिनांक 26.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर वन्य जीव कॉरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–03 में टिहरी बांध के 31 मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के 32 क्रेतागणों सहित कुल 63 परिवारों को पूर्व में देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 की 26.00 है0 वन भूमि भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त विस्थापित करने हेतु आवंटित की गयी थी, के अतिरिक्त वर्ष 2009 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टी0एच0डी0सी0) द्वारा खाण्डगांव–03 में मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को भी संलग्न सूची के अनुसार लालपानी कक्ष संख्या–02 में ही विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2009 मे टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव–03 के मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को संलग्न सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 में उपलब्ध 2.4 है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि निम्न शर्तों के तहत आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जितनी भूमि टी0एच0डी0सी0 द्वारा तत्समय इन 10 अतिरिक्त परिवारों को विस्थापन के समय आवंटित की गयी थीः–

1. खाण्डगांव–03 के पूर्व में विस्थापित परिवारों/किसानों व वन विभाग के मध्य हुये सशर्त अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के अनुसार ही प्रश्नगत प्रकरण में विस्थापन हेतु प्रस्तावित मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा।
2. लालपानी कक्ष संख्या–02 में विस्थापितों को उपलब्ध करायी जा रही भूमि की वैधानिक स्थिति तब तक आरक्षित वन की ही रहेगी जब तक खाण्डगांव–03 में उक्त 10 अतिरिक्त परिवारों की निजी भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद न हो जाये।
3. लालपानी कक्ष संख्या–02 की वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

3— अतएव निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के स्तर से लालपानी कक्ष संख्या—02 में प्रस्तावित 2.4 है० वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव गठित कर नियमानुसार आनलाईन अपलोड आदि की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 3719 /X-2-2016-12(26)/2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक/निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

कार्यालय नि० रा० टा० र०
पंजिका क्रमांक 3642
पत्रावली संख्या 3-46(iii)
दिनांक 07-12-2016
सर्वेयर आ० का० करें
आ० देखें

दिनांक – 04.11.2016

शासनादेश संख्या 3719/X–2–2016–12(26)/2002, की संलग्न सूची।

क. सं.	मूल खातेदार का नाम	टी0एच0डी0सी0 की कम सं0	टी0एच0डी0सी0 द्वारा आवंटित प्लाट सं0/भूखण्ड सं0	भूमि का क्षेत्र एकड/है0 में	खसरा सं0	क्षेत्र है0 में	कय की गयी भूमि खातेदार का नाम	मूल/केता	क्षेत्र0 है0 में	अभ्युक्ति
1.	श्री गजे सिंह, पुत्र श्री कृपाल सिंह	13	65	2.00	806 807 844 889 योग	0.180 0.150 0.160 0.319 0.8090	श्रीमती विजया कोठारी, पत्नी श्री रमेश चन्द्र व श्रीमती लक्ष्मी देवी, पत्नी श्री सुन्दर सिंह	केता योग	0.8090 0.8090	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष संख्या–2 में भूमि उपलब्ध/आवंटित नही है।
2.	श्री धनसिंह पुत्र श्री सूरत सिंह	25	77(A)	0.1010	889 योग	0.1010 0.1010	श्री शूरवीर सिंह, पुत्र श्री जबर सिंह, श्री हरभजन सिंह, पुत्र श्री बीर सिंह पंवार, श्री नन्दादत्त, पुत्र श्री विद्यादत्त, श्री अनील रावत, पुत्र श्री कुंवर सिंह	केता योग	0.1010 0.1010	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष संख्या–2 में भूमि उपलब्ध/आवंटित नही है।
3.	श्री धनसिंह पुत्र श्री सूरत सिंह		J-3 (195)/01	0.0200	848 योग	0.0200 0.0200	श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री माडू सिंह	केता योग	0.0200 0.0200	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष संख्या–2 में भूमि उपलब्ध/आवंटित नही है।
4.	श्री अनील सिंह, श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री मस्तु सिंह				815	0.0500	श्री अनील सिंह, श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री मस्तु सिंह	मूल आवंटी	0.0500	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष संख्या–2 में भूमि

					योग	0.0500		योग	0.0500	उपलब्ध / आवंटित नही है।
5.	श्रीमती कमला देवी पत्नी गम्भीर सिंह श्री सूरज सिंह पुत्र गम्भीर सिंह, प्रदीप सिंह,सुमित पुत्र देवी सिंह व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 देवी सिंह				814 योग	0.0200 0.0200	श्रीमती कमला देवी पत्नी गम्भीर सिंह श्री सूरज सिंह पुत्र गम्भीर सिंह, प्रदीप सिंह,सुमित पुत्र देवी सिंह व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 देवी सिंह	मूल आवंटी योग	0.0200 0.0200	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष संख्या–2 में भूमि उपलब्ध / आवंटित नही है।
6.	श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह	02	54	1.99	795 796 797 798 799 816 योग	0.8050 0.8050	श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह	मूल आवंटी योग	0.8050 0.8050	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, पूर्व में विस्थापन हेतु सहमति नही दिये जाने के कारण रजिस्ट्री नही हो सकी।
7.	श्रीमती अहिल्या देवी पत्नी श्री आनन्द स्वरूप		J-3 (203)/ 04		योग	0.0200 0.0200	श्रीमती अहिल्या देवी पत्नी श्री आनन्द स्वरूप	मूल आवंटी योग	0.0200 0.0200	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, लालपानी कक्ष संख्या–2 में कृषि भूमि दी गयी है आवासीय भूमि दी जानी शेष है।
8.	श्री धूम सिंह पुत्र श्री नरम सिंह		J-3 (195)/ 02		योग	0.0200 0.0200	श्री बलबीर सिंह, सोबन सिंह पुत्र श्री धूम सिंह	वारिस पुत्र योग	0.0200 0.0200	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, लालपानी कक्ष संख्या–2 में कृषि भूमि दी गयी है आवासीय भूमि दी जानी शेष है।

9.	श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सुदर्शन			J-3 (195)/ 07				0.0200	श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सुदर्शन	मूल आवंटी	0.0200	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, लालपानी कक्ष संख्या–2 में कृषि भूमि दी गयी है आवासीय भूमि दी जानी शेष है।
							योग	0.0200		योग	0.0200	
10.	श्री सूरत सिंह पुत्र श्री शेरसिंह			J-3 (203)/ 07				0.0200	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह	वारिस पुत्र	0.0200	श्री सूरत सिंह पुत्र श्री शेरसिंह को प्लाट संख्या–J-3 (203)/07 जोकि टी० एच०डी०सी० द्वारा पत्रांक 882 / 2009 से आवंटित किया है किन्तु राजस्व अभिलेखो में कॉरीडोर के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरों में अंकित नही है इनके नाम राजस्व अभिलेखो में आवासीय प्लाट खसरा सं0–636 क्षेत्रफल 0. 0200 है0 दर्ज है। रजिस्टार कानूनगों द्वारा अपने पत्र सं0–78 दिनांक 10. 07.2015 को जारी खाता खतोनी सं0 00048 में खसरा नं0 636 रकवा 0.0200 है0

										से गोविन्द सिंह पुत्र श्री स्वर्गीय सूरत सिंह का नाम निरस्त करते हुये टी0एच0 डी0सी0 द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या–J-3(203)/07 खसरा नं0 –889 रकवा 0.0200 है0 पर गोविन्द सिंह पुत्र स्वर्गीय सूरत सिंह निवासी ग्राम खाण्डगांव रायवाला का नाम दर्ज किया गया है। जो कोरीडोर क्षेत्र के अन्तर्गत है।
					योग	0.0200		योग	0.0200	
					महायोग	1.8850		महायोग	1.8850	